ORDER SHEE

THE COURT

Date of order or Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessary

25/01/2017

आरोपी / अपीलार्थीगण गच्छो उर्फ गजेन्द्रसिंह एवं पुल्ला उर्फ पुलन्दरसिंह द्वारा श्री ब्रजेन्द्रसिंह यादव अधिवक्ता राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.जी.पी. ।

थाना मालनपुर के अपराध क्रमांक—151/2016 धारा—457, 380 भा0दं0वि0 की केस डायरी प्राप्त ।

अधीनस्थ न्यायालय का मूल आपराधिक प्रकरण कमांक—09 / 2017 ई0फौ० प्राप्त ।

अधीनस्थ न्यायालय से उक्त अपराध की बण्डल फाईल प्राप्त।

प्रकरण आरोपी / अपीलार्थीगण गच्छो उर्फ गजेन्द्रसिंह एवं पुल्ला उर्फ पुलन्दरसिंह के जमानत आवेदनपत्र पर तर्क हेतृ नियत है ।

अतः धारा—439 द.प्र.सं. के नियमित आवेदनपत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने गये ।

आरोपी / आवेदकगण के प्रथम नियमित आवेदनपत्र होने तथा अन्य किसी न्यायालय में कोई आवेदनपत्र पेश ना करने और विचाराधीन व निरस्त ना होने बाबत मनोजसिंह का शपथपत्र पेश किया गया है, जिसपर कोई आपत्ति नहीं आयी है । इसलिये आरोपी / आवेदकगण के प्रथम नियमित आवेदनपत्र मानते हुए उसका निराकरण किया जा रहा है।

आरोपी / अपीलार्थीगण गच्छो उर्फ गजेन्द्रसिंह एवं पुल्ला उर्फ पुलन्दरसिंह का कहना है कि वह उनका किसी अपराध से कोई संबंध व सरोकार नहीं है, अधीनस्थ न्यायालय में उसके द्व रा प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र 13/01/2017 को निरस्त कर दिया है । वर्तमान में वे न्यायिक निरोध में है । उसके अधिक समय से जेल में बंद रहे तो उनके परिवार के भूखों मरने की नौबत आ जायेगी । वे जमानत की शर्तों का पालन करेगें । अतः उसे उचित प्रतिभृति पर छोडने का निवेदन किया ।

जबिक ए.जी.पी. का कथन है कि आरोपी / अपीलार्थीगण गच्छो उर्फ गजेन्द्रसिंह एवं पुल्ला उर्फ पुलन्दरसिंह द्वारा बताया गया कारण संतोषप्रद नहीं है मामला अधिक मात्रा में जेवरातों की व नगदी की चोरी का है। अतः उसका जमानत आवेदनपत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

संलग्न मूल प्रकरण का अवलोकन किया गया, जिससे विदित होता है कि मालनपुर के अप.क. 151/2016 धारा-380, 457 भादवि. के अपराध के तहत प्रकरण पंजीबद्ध है । प्रकरण के अवलोकन एवं संकलित साक्ष्य के आधार पर यह प्रकट होता है कि दि0-10-11/09/2016 को रात 11 बजे से सुबह 05 बजे कि मध्य फरियादी सिंह साब जाटव के मकान ग्राम लहचूरा का पूरा अंतर्गत थाना मालनपुर जिला भिण्ड को फरियादी रात करीब 11 बजे छत पर सो गया और उसकी पत्नी तिवारे में सो गयी, सुबह देखा तो पीछे की दीवाल टूटी थी कमरे के अंदर रखा सूटकेस में रखा जेवत एक जोडी सोने की झमकी, ब्रजबाला, एक जोडी चूडी, एक हार, तीन लेडीज अंगूठी, 02 मर्दानी अंगूठी, जंजीर 02 जोडी, करधोनी चांदी की, एक जोडी पाजेब, दो जोडी तोडियां चांदी की व एक घी की कुल कीमती 01,85,000 / — (एक लाख पिच्यासी हजार रूपये) नहीं थे जिनको कोई अज्ञात चोर चुराकर ले गया है। आसपास के लोगों को बताया ।

उक्त आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट फरियादी ने अपने भाई भीकाराम के साथ थाना मालनपुर जाकर की।

केस डायरी का अवलोकन किया गया जिसमें ए.एस. आई. सुभाष पाण्डेय को जिरये मुखबिर अज्ञात चोरों के सिहौली गांव में मदारी बाबा मंदिर पर बैठे होने के बारे में जानकारी मिलने पर उक्त सूचना का इन्द्राज थाना के राजनामचा सान्हा क0—29 पर करते हुए मौके मय पुलिसबल के जाकर संदेही बदमाशों को पकडकर पूछताछ की गयी ।

आरोपी / अपीलार्थी गच्छो उर्फ गजेन्द्र सिंह के धारा—27 साक्ष्य विधान के तहत लिये गये मेमोरेण्डम कथनों में चोरी किया गया जेवरातों को आपस में बंटा लेना और उसके हिस्से में चांदी की घरी की भरी बरनी आना जिसमें रखा घी खा लेना व खाली बरनी ग्राम सिहोली में घर पर छिपाकर रखना व चलकर बरामद कराना बताया है, उक्त मेमोरेण्डम पर से आरोपी गच्छो उर्फ गजेन्द्र सिंह चोरी गयी चांदी की सिल्वर रंग की बरनी जब्त की गयी।

आरोपी / अपीलार्थी पुल्ला उर्फ पुलन्दर सिंह मिर्धा के धारा—27 साक्ष्य विधान के तहत लिये गये मेमोरेण्डम कथनों में चोरी किया गया जेवरात में उसके हिस्से में एक सोने की लर व एक जनानी अंगूठी आना जो अपने घर में छिपाकर रखना व चलकर बरामद कराना बताया है, उक्त मेमोरेण्डम पर से आरोपी पुल्ला उर्फ पुलन्दर सिंह मिर्धा के घर से एक सोने की अंगूठी जब्त की गयी, जो फरियादी के घर से चोरी गये जेवरातों में शामिल थी। जमानत आवेदनपत्र में आरोपीगण का दिनांक—13 / 01 / 2017 से न्यायिक निरोध में होना उल्लेखित किया है, जबकि वास्तविकता में आरोपी / अपीलार्थीगण गच्छी

पुल्ला उर्फ पुलन्दरसिंह उर्फ गजेन्द्रसिंह एवं दिनांक-19/01/2017 से ही न्यायिक निरोध में है।

यदि अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया गया तो साक्ष्य को प्रभावित कर सकते हैं । मामला 1,85,000 / –रूपये की चोरी से संबंधित होकर गंभीर अपराध की श्रेणी का है। वर्तमान में मेहगाई के समय में आम आदमी अपने खर्चों में कटौती कर बचत करके बमुश्किल से सोने के जेवरातों को खरीद / बनवा पाते हैं, और इस प्रकार की चारी की घटनाओं के कारण ही आम जनता में अपने घरों में रखे हए कीमती संपत्ति (जेवरात आदि) की सुरक्षा के प्रति हमेशा चिंता बनी रहती है, एवं वर्तमान में चोरी की बढती हुई घटनाओं को देखते हुए भी आवेदकगण/आरोपीगण गच्छो गजेन्द्रसिंह एवं पुल्ला उर्फ पुलन्दरसिंह के इस स्तर पर जमानत पाने का पात्र प्रतीत नहीं होते हैं।

💙 उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी/अपीलार्थीगण गच्छो उर्फ गजेन्द्रसिंह एवं पुल्ला उर्फ पुलन्दरसिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र गुणदोषों पर टीका टिप्पणी किए बगैर निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति के साथ केस डायरी वापिस हो । WITHOUT PARTY PART आदेश की प्रति मुल प्रकरण के साथ भेजी जावे। में जमा हो ।